विकलांगों के लिए वित्तीय समावेशन

पी.सी. दास

वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के वंचित समुदाय को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं और विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना है। इसमें बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, पेंशन और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण शामिल हैं। सरकार विकलांगजनों के वित्तीय समावेशन के लिए नयी-नयी योजनाएं ला रही है जिनमें स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, छात्रवृत्तियां आदि प्रमुख हैं

भारत का संविधान नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 में कार्य और रोजगार के महत्व को मान्यता देता है, जिसमें राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले। भले ही वे पुरुष हों अथवा महिला। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 41 यह प्रावधान करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार हासिल करने के लिए कारगर उपाय करेगा और अनुच्छेद 42 यह प्रावधान करता है कि राज्य कार्य करने की निष्पक्ष और मानवीय स्थितियां हासिल करने के लिए उपाय करेगा। हम यहां मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीए) के बारे में बात करेंगे।

पीडब्ल्यूडी का अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पारिभाषित विकलांगता 40% से कम न हो और जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। भारत सरकार ने सामाजिक-आर्थिक समावेश सहित समान अवसर प्रदान करने हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन कानून बनाए हैं (i) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (ii) विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडीएस) कल्याण अधिनियम 1995 और (iii) ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए *राष्ट्रीय न्यास अधिनियम*, 1995। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि 2006 (यूएनसीआरपीडी) को संपुष्टि दी है, जिसमें समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ विकलांग व्यक्तियों को भी पूर्ण और कारगर भागीदारी देने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार, पीडब्ल्यूडी पर राष्ट्रीय नीति में इस बात को मान्यता दी गई है कि विकलांग व्यक्ति एक बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यह नीति समाज में सम्मानजनक जीवन हेतु उनके लिए समान अवसरों की तलाश करती है। यह सभी के लिए एक समावेशी समाज का प्रावधान करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विकलांगों की संख्या 268 लाख है। इनमें 149.9 लाख पुरुष हैं और 118.2 लाख महिलाएं हैं। इसके अतिरिक्त 186.3 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 81.8 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें 134 लाख लोग रोजगार करने वाले आयु वर्ग के हैं (इनमें 88 लाख ग्रामीण क्षेत्रों और 46 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं)। रोजगार करने वाले आयु वर्ग में 78 लाख पुरुष हैं और 56 लाख महिलाएं। इसके अतिरिक्त विकलांगों में 146 लाख निरक्षर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि देश में विकलांग लोग एक ऐसे मानव संसाधन हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान देने की क्षमता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के वंचित समुदाय को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं और विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना है। इसमें बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा, पेंशन और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण शामिल हैं। वास्तव में वित्तीय समावेशन समावेशी समाज के निर्माण की कुंजी है जहां समाज के वंचित समुदाय को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन

लेखक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम में आईसीएएस, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। ईमेल: das.pcd.pareshchandra@gmail.com

के महत्व को स्वीकार किया है और सभी के लिए वित्तीय समावेश की आवश्यकता पर जोर दिया है। *जन धन योजना*, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा, मुद्रा ऋण जैसी नीतियां देश में प्राथमिकता कार्यक्रम हैं। वित्तीय समावेशन सरकार के सामाजिक-कल्याणपरक कार्यक्रमों में भी सहायता करता है। वित्तीय समावेशन से भुगतान की प्रक्रिया कम कीमत पर, सरल और सुविधाजनक होगी, प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और लाभार्थियों की डुप्लीकेसी से बचा जा सकेगा।

वास्तव में पीडब्ल्यूडी को समाज में सर्वाधिक गरीब होने के कारण सबसे वंचित वर्ग कहना उपयुक्त होगा। यह भी एक तथ्य है कि विकलांगता निर्धनता के साथ अंतर संबंधित होती है और समाज के गरीब वर्गों में विकलांगता होने की अधिक संभावना होती है। यह स्थिति और खराब तब होती है जब महिलाएं विकलांग होती हैं।

पीडब्ल्यूडी: आर्थिक रूप से वंचित

वास्तव में पीडब्ल्यूडी को समाज में सर्वाधिक गरीब होने के कारण सबसे वंचित वर्ग कहना उपयुक्त होगा। यह भी एक तथ्य है कि विकलांगता निर्धनता के साथ अंतर संबंधित होती है और समाज के गरीब वर्गों में विकलांगता होने की अधिक संभावना होती है। यह स्थिति और खराब तब होती है जब महिलाएं विकलांग होती हैं। पीडब्ल्यूडी का वित्तीय समावेशन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण और अन्य वंचित समुदायों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनकी गतिशीलता कम है। वे शारीरिक बाधाओं का शिकार हैं। साथ ही वित्तीय उत्पादों के बारे में कम जानकारी रखते हैं और उनके समूह बिखरे हुए हैं। इसकी वजह से उनके विशिष्ट स्वयं सहायता समूह बनाना भी कठिन है।

विकलांगों द्वारा स्वरोजगार और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता/क्रेडिट तक पहुंच बनाने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 24 जनवरी, 1997 को 400 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) का गठन किया। इसे एक अलाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

एनएचएफडीसी 18 वर्ष से ऊपर के और 40% या उससे अधिक विकलांग भारतीय नागरिकों को रियायती ऋण देता है। एनएचएफडीसी से रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। निगम की मुख्य योजनाओं और कार्यक्रम इस प्रकार हैं- (i) क्रेडिट आधारित गतिविधि जहां पीडब्ल्यूडीएस को रियायती ऋण दिए जाते हैं और (ii) गैर क्रेडिट आधारित गतिविधि जहां पीडब्ल्यूडीएस को अनुदान दिए जाते हैं।

क्रेडिट आधार पर ऋण

स्वरोजगार ऋण: इसके तहत विकलांगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए 5-8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का रियायती ऋण दिया जाता है। इस ऋण को 10 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है।

शिक्षा ऋण: विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। विकलांग विद्यार्थियों को देश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस ऋण को 7 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है। ऋण की अदायगी पाठ्यक्रम पूरा होने के एक साल के बाद से या नौकरी मिलने के छह महीने के बाद से, जो भी पहले हो, शुरू हो जाती है।

माइक्रो फाइनांस: इस ऋण का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी के कमजोर वर्गों के लिए आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एक गैर-सरकारी संगठन पीडब्लूडी के संवितरण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण लाभ ले सकता है और एक पीडब्लूडी 50,000 रुपये की अधिकतम राशि माइक्रो फाइनांस ऋण के रूप में ले सकता है। इस तरह एक गैर-सरकारी संगठन 20 पीडब्ल्यूडी की सहायता कर सकता है। ब्याज की दर केवल 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक है। ऋण 3 वर्ष की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि के भीतर चुकाया जा सकता है।

क्रेडिट भिन्न आधार पर ऋण

पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रशिक्षण: इस योजना के तहत एनएचएफडीसी पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रशिक्षण अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षुओं को 2,000 रुपये प्रति माह का वजीफा प्रदान किया जाता है।

छात्रवृत्ति योजनाएं: मंत्रालय ने एनएचएफडीसी को पीडब्ल्यूडी के लिए छात्रवृत्ति योजना का कार्य भी सौंपा है। वर्तमान में, एनएचएफडीसी तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 2,500 विकलांग विद्यार्थियों के लिए ट्रस्ट फंड स्कॉलरशिप योजना चला रहा है।

एनएचएफडीसी 36 राज्य सरकारों की नामित एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्य करता है। निगम ने पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण की सुविधा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पीएसबी) और 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से करार किया है। निगम के प्रदर्शन को इस तथ्य से भी आंका जा सकता है कि इसे पिछले चार वित्त वर्षों से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है और वर्ष 2015-16 के लिए भी इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद की जा रही है।

- **ऋण वितरण:** स्थापना के समय से निगम ने अपनी ऋण योजनाओं के तहत अब तक 1.26 लाख विकलांगों को 694.29 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- **कौशल प्रशिक्षण:** निगम ने अब तक 36,616 विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 46.21 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एनएचएफडीसी ने 17,000-20,000 पीडब्ल्यूडीएस को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

एनएचएफडीसी 36 राज्य सरकारों की नामित एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्य करता है। निगम ने पीडब्ल्यूडी को रियायती ऋण की सुविधा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पीएसबी) और 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से करार किया है।

- **छात्रवृत्ति:** ट्रस्ट फंड की छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएचएफडीसी ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 47.94 करोड़ रुपये (2011-12 से अब तक) जारी किए हैं, जिसमें 7,117 नए मामले हैं और 1,097 नवीकृत मामले।

राष्ट्रीय कोष की छात्रवृत्ति योजना के तहत एनएचएफडीसी ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए 3.51 करोड़ रुपये (2009-10 से अब तक) जारी किए हैं, जिसमें 2,827 नए मामले हैं और 101 नवीकृत मामले।

निगम के रियायती ऋण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एनएचएफडीसी परामर्श कर रहा है। निगम ने भविष्य में एनएचएफडीसी के विस्तार और अधिक संख्या में विकलांगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजना बनाई है:

- **बैकएंड सब्सिडी योजना:** निगम ने विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से एनएचएफडीसी के ऋण के तहत एक बैकएंड सब्सिडी शुरू करने की योजना बनाई है। यदि सरकार ने मंजूरी दे दी तो बैकएंड सब्सिडी के रूप में विकलांग व्यक्तियों को 35 प्रतिशत तक का ऋण लाभ प्राप्त होगा।
- **बैंकों से सहयोग:** एनएचएफडीसी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न बैंकों से करार कर रहा है, जिससे साथी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से रियायती ऋण लिया जा सके। एनएचएफडीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त एनएचएफडीसी ने कुछ राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम) के 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **एनबीएफसी-एमएफआई के साथ टाई-अप:** एनबीएफसी-एमएफआई बेहतर तरीके से उन विकलांग व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं, जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे शहरी इलाकों में रहते हैं जिन तक पहुंच बनाना मुश्किल है। एनएचएफडीसी ने एनबीएफसी-एमएफआई के साथ टाई अप के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ खास मानदंडों में ढील देने की बात की है, जिससे इन संस्थानों के जरिये विकलांगों को रियायती ऋण प्राप्त हो सके।
- **विकलांगों के लिए जॉब पोर्टल:** विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अनूठा जॉब पोर्टल विकसित किया है जोकि एकल मंच पर निशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है। इस जॉब पोर्टल को औपचारिक रूप से 27 जनवरी, 2016 को माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा शुरू किया गया। विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों उपलब्ध करते हुए वित्तीय संरचना में उनके त्वरित समावेशन की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।

भारत सरकार ने निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो कि अधिकारिता विभाग के माध्यम से दीर्घावधि में पीडब्ल्यूडी के वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण के लिए लाभप्रद होंगे:

1. 10 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लक्ष्य के तहत बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋण क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का समावेश।
2. 350 रुपये प्रति वर्ष की अल्प राशि पर स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत।
3. पीडब्ल्यूडी के लिए मैट्रिक पूर्व और उपरांत छात्रवृत्ति।
4. विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।
5. सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ।
6. पीडब्ल्यूडी के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ। ❑